मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XXII अंक 04 जुलाई 2026

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. विनियमन	1-3
II. वित्तीय समावेशन सूचकांक	3
III. पर्यवेक्षण	4
IV. प्रकाशन	4
V. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण	4

संपादक की कलम से

'मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू' का जुलाई अंक बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक निर्णायक क्षण को उजागर करता है, जो 14 जुलाई 2026 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की अर्ध-वार्षिक बैठक द्वारा चिह्नित है। गवर्नर द्वारा दक्षता के लिए एआई जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करने और साथ ही साइबर सुरक्षा व आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने का आह्वान, भविष्य की राह के लिए एक कार्यनीतिक दिशा तय करता है। नवाचार और सतर्कता का यह संतुलित दृष्टिकोण पहले से ही वित्तीय समावेशन की गहनता में परिलक्षित हो रहा है, जहाँ उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण मार्च 2026 का एफ़आई सूचकांक बढ़कर 70.0 हो गया है। जैसे-जैसे वित्तीय क्षेत्र एआई, यूएलआई, सीबीडीसी, लेखा समेकक (अकाउंट एग्रीगेटर) पारितंत्र आदि को अपना रहा है, इससे हमारा सर्वोपरि उद्देश्य, अर्थात्, ग्राहक को केंद्र में रखते हुए यह सुनिश्चित करना कि तकनीकी प्रगति अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों के लिए मजबूत और समावेशी संवृद्धि में परिवर्तित हो, स्वतः स्पष्ट है।

हम सही जानकारी साझा करने और गहरी समझ बढ़ाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को https://www.rbi.org.in/ पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है। हम mcir@rbi.org.in पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

ब्रिज राज
संपादक

I. विनियमन

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 जुलाई 2026 को मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चयनित निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ अपनी अर्धवार्षिक बैठकें आयोजित कीं। बैठकों की अध्यक्षता गवर्नर द्वारा की गई और इनमें उप गवर्नर श्री स्वामिनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता, श्री एस. सी. मुर्मू और श्री रोहित जैन, साथ ही पर्यवेक्षण, विनियमन, प्रवर्तन, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, तथा वित्तीय समावेशन के प्रभारी कार्यपालक निदेशक शामिल हुए। अपने उद्घाटन भाषण में, गवर्नर ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक- आधारित संवृद्धि देखी गई है और उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे नई ऊर्जा और विवेक के साथ अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों और खंडों की आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखें।

उनका सुझाव था कि बैंकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए अपनी पहुंच का विस्तार करना चाहिए, परिचालन दक्षता में सुधार लाना चाहिए, लागत में कमी लानी चाहिए और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना चाहिए, साथ ही मजबूत साइबर सुरक्षा, सशक्त आंतरिक नियंत्रण और धोखाधड़ी तथा डेटा के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने बैंकिंग संचालन के केंद्र में ग्राहकों को रखते हुए ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के प्रति जुनून विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। चर्चा के अन्य विषयों में सीकेवाईसीआर, एफ़आईसीएन का शीघ्र पता लगाना, म्यूल हंटर को अपनाना और/अथवा लोकप्रिय बनाना,सीबीडीसी, यूएलआई, लेखा समेकक (अकाउंट एग्रीगेटर), विदेशी मुद्रा खुदरा और रिटेल-डायरेक्ट आदि शामिल थे। प्रतिभागियों ने इन पहलुओं के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले अन्य मामलों पर भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की।

आरबीआई ने "भारतीय रिज़र्व बैंक (शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश, 2026" के मसौदे पर जन-सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित की

आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) से प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में की गई समीक्षा के आधार पर तथा म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड द्वारा किसी बैंकिंग कंपनी में प्रमुख शेयरधारिता के अनुवर्ती अधिग्रहण संबंधी अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 जुलाई 2026 को निम्नलिखित संशोधन निदेश के मसौदे जारी किए हैं:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश, 2026

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश, 2026

iii. भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश, 2026

iv. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश, 2026

उपर्युक्त संशोधन निदेशों के मसौदे पर विनियमित संस्थाओं और जन-सामान्य/अन्य-हितधारकों द्वारा 4 अगस्त 2026 तक अथवा उससे पूर्व टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थी। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई ने 'बैंकों के बोर्डों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मामले' पर संशोधन निदेश जारी किए

दिनांक 8 अप्रैल 2026 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 8 अप्रैल 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026 का मसौदा जारी किया था। संशोधन निदेश के मसौदे में अन्य बातों के साथ-साथ सात

व्यापक विषयों को सिद्धांत-आधारित मार्गदर्शन से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि बोर्ड अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें और कार्यनीति तथा जोखिम अभिशासन पर अधिक केंद्रित और गुणात्मक सहभागिता संभव हो सके। उक्त मसौदा निदेश पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप संशोधनों को अंतिम संशोधन निदेश में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुलग्नक I में दी गई है। तदनुसार, 14 जुलाई 2026 को रिज़र्व बैंक ने, 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने वाले, निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026

iii. भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026

iv. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026

अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई ने 'डेटा अभिशासन के लिए विनियामकीय अपेक्षाओं पर मार्गदर्शन' का मसौदा जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जन सामान्य द्वारा टिप्पणी के लिए 15 जुलाई 2026 को 'डेटा अभिशासन के लिए विनियामकीय अपेक्षाओं पर मार्गदर्शन' का मसौदा जारी किया है। इस मार्गदर्शन का मसौदा निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं पर लागू है:

i. वाणिज्यिक बैंक
ii. लघु वित्त बैंक
iii. भुगतान बैंक
iv. स्थानीय क्षेत्र बैंक
v. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
vi. शहरी सहकारी बैंक
vii. ग्रामीण सहकारी बैंक
viii. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
ix. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
x. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ
xi. साख सूचना कंपनियां

मार्गदर्शन के मसौदे पर विनियमित संस्थाओं, जनता और अन्य हितधारकों से 17 अगस्त 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई।

आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं द्वारा अर्जित विनिर्दिष्ट गैर-वित्तीय आस्तियों पर विवेकपूर्ण मानदंड जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 मई 2026 को हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट गैर-वित्तीय आस्तियों (एसएनएफ़ए) पर विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी निदेश का मसौदा जारी किया था। उक्त मसौदा निदेश पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप संशोधनों को अंतिम निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। निदेश के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। तदनुसार, 16 जुलाई 2026 को रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

iii. भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

iv. भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

v. भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

vi. भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

vii. भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

viii. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

ix. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

x. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

xi. भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

xii. भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

xiii. भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

xiv. भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

xv. भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

xvi. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने (प्रतिभूतिकरण लेनदेन) संशोधन निदेश का मसौदा जारी किया

प्रतिभूतिकरण नोट्स (एसएन) को जारी करने और बाद में उसके अंतरण में दक्षता, तरलता और पारदर्शिता में सुधार के उद्देश्य के अनुरूप, आरबीआई ने 27 जुलाई 2026 को जन सामान्य से टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए हैं:

क) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) संशोधन निदेश, 2026

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) संशोधन निदेश, 2026

ग) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) संशोधन निदेश, 2026

घ) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) संशोधन निदेश, 2026

दिशानिर्देशों के मसौदे पर जन सामान्य/हितधारकों से 27 अगस्त 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियां/प्रतिक्रिया रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत दिये गए लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, टिप्पणियाँ मुख्य महाप्रबंधक, ऋण जोखिम समूह, विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक

II. मार्च 2026 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए, सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से एक समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई- सूचकांक) का निर्माण किया था, जिसे सर्वप्रथम अगस्त 2021 में मार्च 2021 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सूचकांक संकलित कर लिया गया है। मार्च 2026 के लिए एफआई- सूचकांक का मान मार्च 2025 के 67.0 की तुलना में 70.0 है, तथा सभी उप-सूचकांकों में वृद्धि देखी गई है। इस वर्ष एफआई- सूचकांक में सुधार मुख्य रूप से 'उपयोग' में वृद्धि के कारण हुआ है, जो वित्तीय समावेशन के गहन होने को दर्शाता है।

को प्रेषित की जा सकती हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई ने बैंकों के लिए बासेल पिलर 3 प्रकटीकरण जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 मई 2026 को हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए बेसल पिलर 3 प्रकटीकरण पर निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए थे:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) सातवां संशोधन निदेश, 2026

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) पांचवां संशोधन निदेश, 2026

उक्त मसौदा संशोधन निदेशों पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप संशोधनों को अंतिम संशोधन निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। उक्त मसौदा संशोधन निदेश पर प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुलग्नक में प्रदान किया गया है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जुलाई 2026 को बैंकों पर लागू मौजूदा अनुदेशों को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित दस संशोधन निदेश जारी किए हैं:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) सातवां संशोधन निदेश, 2026

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आस्ति देयता प्रबंधन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

iii. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

iv. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) – आठवां संशोधन निदेश, 2026

v. भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक – अभिशासन) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

vi. भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) – दूसरा संशोधन निदेश, 2026

vii. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) पांचवां संशोधन निदेश, 2026

viii. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – आस्ति देयता प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026

ix. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – अभिशासन) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

x. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026

बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, प्रतिपक्षी ऋण जोखिम, ऋण मूल्यांकन समायोजन और वाणिज्यिक बैंकों के लिए लीवरेज अनुपात पर बेसल पिलर 3 प्रकटीकरण टेम्पलेट अलग से जारी किए जाएंगे। इन टेम्पलेट्स पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी और वाणिज्यिक बैंकों के लिए संबंधित टेम्पलेट्स जारी करते समय उन्हें उचित रूप से शामिल किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाराशि पर ब्याज दर संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 05 जून 2026 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से "भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026" का मसौदा जारी किया था, जिन पर विनियमित संस्थाओं और जन सामान्य /अन्य हितधारकों से 20 जून 2026 या उससे पूर्व टिप्पणियां/प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थी। उक्त संशोधन निदेशों के मसौदे में बैंकों को उनकी रुपया थोक जमाराशि के मूल्य निर्धारण के लिए अधिक सहूलियत प्रदान करने का प्रस्ताव था, साथ ही जमाराशि पर ब्याज दरों के प्रकटीकरण में एकरूपता सुनिश्चित की गई थी। उक्त मसौदा संशोधन निदेशों पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप संशोधनों को अंतिम संशोधन निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। उक्त मसौदा संशोधन निदेश पर प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुलग्नक में प्रदान किया गया है।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 30 जुलाई 2026 को निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं, जोकि 1 अक्तूबर 2026 से प्रभावी होंगे :

I. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – जमाराशि पर ब्याज दर) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

II. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

III. भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

IV. भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026

V. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

VI. भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

III. पर्यवेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समेकित पर्यवेक्षी निदेश जारी किए

रिज़र्व बैंक, अन्य बातों के साथ- साथ आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने और अनुपालन लागत को कम करने के उद्देश्य से, अपने विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की निरंतर प्रासंगिकता का आवधिक मूल्यांकन करके इसे बेहतर और मज़बूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। इस संबंध में, पर्यवेक्षण विभाग ने मौजूदा समग्र पर्यवेक्षी अनुदेशों को, कार्य के आधार पर व्यवस्थित, संस्था-विशिष्ट समेकित मास्टर निदेशों के रूप में एकीकृत करने हेतु एक व्यापक कार्य आरंभ किया था। इस कार्य में 628 परिपत्रों (जिनमें मास्टर परिपत्र और मास्टर निदेश शामिल

हैं) को समेकित करके 11 प्रकार की विनियमित संस्थाओं के नौ कार्यों को शामिल करते हुए 64 मास्टर निदेश तैयार किए गए हैं। 8 अप्रैल 2026 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से, इन 64 मास्टर निदेशों के मसौदे और निरस्त किए जाने वाले परिपत्रों की सूची को पूर्णता और सटीकता के संबंध में जन सामान्य से टिप्पणियों के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था। रिज़र्व बैंक को मास्टर निदेशों के मसौदे पर विभिन्न हितधारकों से 767 टिप्पणियां प्राप्त हुईं। समीक्षा और बदलाव के कुछ सुझाव, जो वर्तमान समेकन कार्य के दायरे से बाहर थे, उन पर विचार नहीं किया गया है, लेकिन उनकी अलग से जांच की जाएगी। अंतिम समेकित मास्टर निदेश को अंतिम रूप देते समय, स्पष्टता और सटीकता बढ़ाने वाली शेष टिप्पणियों पर उचित रूप से विचार किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

IV. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन - जुलाई 2026

रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2026 को अपने मासिक बुलेटिन का जुलाई 2026 का अंक जारी किया। इस बुलेटिन में दो भाषण, एक आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। आलेख अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

अस्थिर भू-राजनीति और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी दबावों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं का बढ़ना जारी है। संतुलित मांग-स्थितियों तथा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के आघात-सह प्रदर्शन के आधार पर घरेलू अर्थव्यवस्था ने बाहरी अनिश्चितताओं का दृढ़ता से सामना किया। जून में हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई, जबकि मूल मुद्रास्फीति, विशेष रूप से कीमती धातुओं को छोड़कर, कम रही। चलनिधि की स्थिति और बेहतर हुई, जिससे मौजूदा सुदृढ़ ऋण-वृद्धि को बल मिला। विदेशी निवेश प्रवाह की अच्छी स्थिति के साथ, भारत का बाहरी क्षेत्र बेहतर संभावना के साथ स्थिर बना हुआ है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका (हैंडबुक) 2025-26 जारी की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2026 को "भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका, 2025-26" (एचबीएस) शीर्षक से अपना वार्षिक प्रकाशन का 28 वां संस्करण जारी किया। इस प्रकाशन के माध्यम से, रिज़र्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था पर विस्तृत समय-श्रृंखला डेटा प्रसारित करता है। विवरण पुस्तिका में राष्ट्रीय आय, कीमतें, मुद्रा, बैंकिंग, बाजार, सार्वजनिक वित्त, विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन और चयनित सामाजिक-आर्थिक संकेतकों सहित समष्टि आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों पर सांख्यिकीय सारणियाँ प्रस्तुत की गई हैं। विवरण पुस्तिका के वर्तमान संस्करण में, मौजूदा आंकड़ा श्रृंखलाओं के अद्यतन के अतिरिक्त, चार नई सारणियाँ भी शामिल की गई हैं।

विवरण पुस्तिका से संबंधित समय श्रृंखला डेटा और कई अन्य आरबीआई प्रकाशन रिज़र्व बैंक के डेटा पोर्टल, भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस (डीबीआईई) (https://data.rbi.org.in) पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, बैंक के एचबीएस और अन्य प्रमुख प्रकाशनों तक **RBIDATA** मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

V. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण

जुलाई 2026 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े और सर्वेक्षण निम्नानुसार हैं

क्रम सं	शीर्षक
1	दिनांक 15 जुलाई 2026 तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	जून 2026 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
3	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – जुलाई 2026
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण जुलाई 2026 दौर की शुरुआत
5	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जुलाई 2026 दौर की शुरूआत

श्री ब्रिज राज द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।